DOON FIRE SAFETY EQUIPMENTS

SWASTIK RESIDENCY, THDC COLONY NARYAN VIHAR, DEHRADUN, UTTRAKHAND

GST NO: 05BIUPR0067D1Z5

DATE-: 23/01/2023

HPT-प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है की मैं0- एस॰जी॰आर॰आर॰ सहसपुर सेलाकुँई देहरादून में स्थापित किये गए फायर एक्सटीन्गुइशरों का हमारी फर्म दून फायर सेफ्टी इक्विप्मैंट्स द्वारा हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट कर लिया गया है जो सन्तोषजनक दशा मे पाए गए हैं जिनका विवरण निम्नवत है.

S.NO	PRODUCT DISCRIPTION	CAPACITY	QTY
1.	REFILLING/HPT OF ABC TYPE FIRE EXTINGUIHSER	04 Kg	09
2.	REFILLING/HPT OF AFFF TYPE FIRE EXTINGUIHSER		
3.	REFILLING/HPT OF CO2 TYPE FIRE EXTINGUIHSER	2 Kg	02
4.	REFILLING/HPT OF W/CO2 TYPE FIRE EXTINGUIHSER		
		TOTAL	11

Rawat

Manager
S.G.R.R. Public School
Sahaspur (D.Dun)

DOON FIRE SAFETY EQUIPMENTS
DEHRADUN

कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी देहरादून।

पत्रांकः न–9/स्कू0भ0मा0–D-PO-34-2023

दिनांकः जनवरी 30, 2023

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक
SHRI GURU RAM RAI PUBLIC SCHOOL
Kh No-1096 & 1097 KHA, Mauza-Sahaspur
Pargana-Pachwa Doon, Tehsil-Vikas Nagar
NEAR FOREST BARRIER SHANKERPUR ROAD, SAHASPUR
जनपद–देहरादून।

विषय **अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता प्रमाण पत्र (Pre-Operational) विषयक।**

कृपया आपके द्वारा अग्निशमन एंव आपात सेवा उत्तराखण्ड की बैबसाईट पर आवेदित यूनिक नम्बर 93413594 दिनांक 24.01.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा Kh No-1096 & 1097 KHA, Mauza-Sahaspur, Pargana-Pachwa Doon, Tehsil-Vikas Nagar, NEAR FOREST BARRIER SHANKERPUR ROAD, SAHASPUR, जनपद देहरादून में निर्मित शैक्षणिक भवन (SHRI GURU RAM RAI PUBLIC SCHOOL) हेतु अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के क्रम में प्रश्नगत भवन का निरीक्षण प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी सेलाकुई द्वारा किया गया एवं संस्तुति आख्या दिनांक 27.01.2023 को इस कार्यालय को प्रेषित की गई। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन तक अग्निशमन का वाहन पहुँच सकता है।
2. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन के ऊपर से कोई हाईटेंशन लाईन नही गुजर रही है।
3. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन भूतल एवं अग्रेत्तर दो तल में निर्मित है।
4. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में 05 हजार लीटर क्षमता का टैरिस टैंक मय विद्युत पम्प (05 एच.पी.) का प्राविधान किया गया है।
5. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन के प्रत्येक तल में 01–01 अदद होजरील (30 मीटर लम्बी मय नाजुल) का प्राविधान किया गया है।
6. प्रधानाचार्य/प्रबन्धक को प्रश्नगत भवन में फायर अलार्म लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।
7. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में अग्निशामक यंत्र स्थापित किया गया है, जो कार्यशील एवं सन्तोषजनक दशा मे है।
8. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन की विद्युत व्यवस्था एम0सी0बी0 एवं ई0एल0सी0बी0 पर आधारित है।
9. प्रश्नगत भवन में कार्यरत कर्मचारियों को अग्निशमन यन्त्र संचालन का ज्ञान होना आवश्यक है।
10. स्वामी/प्रबन्धक को प्रश्नगत भवन के निकास मार्गो/सैट बैक को सदैव साफ (Clear) व अवरोध रहित रखा जाए, इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व भवन स्वामी का होगा। भवन के चारों तरफ छोड़े गये सैट बैक में किसी प्रकार का अतिक्रमण, निर्माण या अस्थाई ढांचा नहीं बनाया जायेगा।
11. प्रश्नगत भवन विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर अलग से अग्निशमन विभाग से अग्निशमन व्यवस्था का कार्यशीलता प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर Kh No-1096 & 1097 KHA, Mauza-Sahaspur, Pargana-Pachwa Doon, Tehsil-Vikas Nagar, NEAR FOREST BARRIER SHANKERPUR ROAD, SAHASPUR, जनपद देहरादून में निर्मित शैक्षणिक भवन (SHRI GURU RAM RAI PUBLIC SCHOOL) हेतु अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता प्रमाण पत्र (Pre-Operational) प्रदान किये जाने में अग्नि शमन विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। वशर्ते भवन स्वामी/सोसाइटी/प्रबन्धक प्रश्नगत भवन में की गई अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सदैव उच्च स्तर का बनाये रखेंगे साथ ही की अग्नि शमन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगें। उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग–03 की अधिसूचना संख्या–342/XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादूनः दिनांक 29 नवम्बर, 2021 के अनुपालन में उक्त व्यवस्था के कार्यशील होने का स्व–घोषणा प्रमाण पत्र/Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड़ करना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्र जारी करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि तक के लिए वैध होगा। यदि उपरोक्त अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को वैध करने के लिए मान्य नहीं होगा। प्रश्नगत भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के संचालन हेतु प्राथमिक अग्निशमन प्रशिक्षण प्राप्त सुरक्षा कर्मियों कों रखेगें ताकि किसी आकस्मिकता के समय त्वरित अग्निशमन कार्य किया जा सके। भवन मे फायर सर्विस का टेलीफोन नम्बर–0135–2698560 एंव पुलिस कन्ट्रोल रूम का टेलीफोन नम्बर–100, 112 एवं एम्बूलेन्स का टेलीफोन नं0–108 अंकित करेगें। ऐसा न करने पर जारी प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

VRawal

VRawal

(आर0 एस0 खाती)
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
देहरादून।

PRINCIPAL
SHRI GURU RAM RAI PUBLIC SCHOOL
SAHASPUR (DEHRADUN)

Manager
S.G.R.R. Public School
Sahaspur (D.Dun)